संख्या- 11 /2026/I/1510401/35-3-2026

प्रेषक

दुर्गा प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 03 नवम्बर, 2026

विषयः **गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा गैर वेतन मद (ओएच-31) के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान रू0 25,00,000/- की धनराशि के समतुल्य अनुदान की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-124/ले0-91/2004(2), दिनांक 18-06-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा (गैर वेतन) मद (ओएच 31) के अन्तर्गत गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के पक्ष में वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत रू0-25,00,000/- केन्द्रांश के सापेक्ष समतुल्य देय राज्यांश रू0 25,00,000/- की धनराशि, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 1,10,55000/-(रू० एक करोड़ दस लाख पचपन हजार मात्र) में से प्रथम किस्त के रूप में रू0 25,00,000/-(रूपये पच्चीस लाख मात्र)का अनुदान निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृति धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

॥. अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

III. अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

IV. कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो, कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन / परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

V. उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मर्दों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

V. इस अनुदान पर राजाज्ञा सख्या-ए-2364/दस-17/2 (1)/67, दिनांक 20 जुलाई, 1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होगे।

VII. उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगे तथा उनका निरीक्षण, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगे, किया जायेगा।

VIII. संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा निदेशक, अर्थ एवं संख्या लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय के आडिटेड ब्यौरी को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

IX. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अधीन लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवाये 800 अन्य व्यय 05 गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-जाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(दुर्गा प्रसाद)
अनु सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
8- सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद. पोस्ट बाक्स नं0-10580, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
9- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11- नियोजन अनुभाग-1
12- गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आजा से,
(दुर्गा प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in